रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार व्दारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4 खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

लखनऊ, बृहस्पितिवार, 20 अप्रैल, 2000
चत्र 31 1922 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबंधन अनुभाग-5
सं0 क0नि0-5-1307/11-2000-500(80)-98
लखनऊ, 20 अप्रैल, 2000

अधिसूचना
आदेश

प0आ0 -376

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय- समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते है कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से छः मास की अवाधि के लिये उक्त भूमि में पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के अनुसूचति 1 बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड क के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि जो पूर्ण स्वामित्व लिखत में दी गई प्रतिफल को धनराशि से ऐसे नजूल भूमि के बाजार भूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते है ।

परन्तु यह कि यह अधिसूचना नजूल भूमि में नीलाम या निविदा आमंत्रण के व्दारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से सम्बिन्धित मामलोंमें लागू नही होगी ।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये शब्द प्रतिफल का तात्पर्य ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभार्य और उस ब्याज यदि कोई हो तो राज्य सरकार व्दारा प्राधिकृत व्यक्ति व्दारा पट्टाधृति अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए लिया गया हो से है ।

आज्ञा से,
टी0जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव ।

Thegovernor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.K.N. 5-1307/xi-2000-500-(80)-98 dated April 20, 2000 for general information:

No.K.N. 5-1307/xi-2000-500-(80)-98
Dated Lucknow April 20, 2000.

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian stamp Act. (Act no 2 of 1899) as amended from time to time in its application in Uttar Pradesh the Governor is pleased to reduce a period six months with effect from the date of publication of this notification in the Gazette the Stamp Duty chargeable under clause (A) of Article 23 of Schedule 1-B of the said Act on the instrument executed by the person authoritiesd by the Government of Uttar Pradesh in favour of the lessee of Nazul Land for the purpose of converting leasehold rights into freehold rights in the said land to the extent of the stamp futychargable on the amount that exceeds the amount of consideration set forth in such freehold instrument up to the market valuve of such Nazul land.

Provided that this notification shall not apply to matters relating to granting freehold right in Nazul land by way of auction or invitation of tender.

Explanation- for the purposes of this notification the word consideration means the freehold charges and the intresttthereson if any taken by the person autoritieds by the Government of Uttar Pradesh for the purpose of converting leasehold rights in to freehold rights.

By order
T George Joseph.
PramukhSachiv.